प्रेस नोट–जनपद मुजफ्फरनगर
दिनांक– 03.05.2025

- **थाना जानसठ पुलिस द्वारा हत्या के अभियोग में वांछित 01 हत्याभियुक्त गिरफ्तार–**
  दिनांक 02.05.2025 को प्र0नि0 थाना जानसठ श्री राजीव शर्मा मय हमराहीगण द्वारा मु0अ0सं0 83/2025 धारा 103(1) बीएनएस में वांछित अभियुक्त मिन्टु उर्फ धकेल पुत्र सुन्दरपाल निवासी ग्राम अहरोडा थाना जानसठ, मुजफ्फरनगर को सरकारी टयूबवैल के पास ग्राम अहरोडा की ओर जाने वाले रास्ते पर पुलिया से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त की निशांदेही से घटना में प्रयुक्त 01 आलाकत्ल चूल्हे(लोहे) का तवा बरामद किया गया। अभियुक्त की गिरफ्तारी एवं बरामदगी के सम्बन्ध में थाना जानसठ पुलिस द्वारा अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

- **थाना कोतवाली नगर पुलिस द्वारा 01 वारण्टी अभियुक्त गिरफ्तार–**
  दिनांक 03.05.2025 को थाना कोतवाली नगर पर नियुक्त उ0नि0 श्री मोहित चौधरी मय हमराहीगण द्वारा वाद संख्या 6065/9/18 मु0अ0सं0 888/18 धारा 4/25 आयुध अधिनियम में वारण्टी अभियुक्त उस्मान पुत्र इस्लाम निवासी मिमलाना रोड थाना कोतवाली नगर, मुजफ्फरनगर को अभियुक्त के मसकन से गिरफ्तार किया गया।

- **थाना भोपा पुलिस द्वारा वांछित 01 अभियुक्त गिरफ्तार–**
  दिनांक 03.05.2025 को थाना भोपा पर नियुक्त उ0नि0 श्री आदित्य भाटी मय हमराहीगण द्वारा मु0अ0सं0 141/2025 धारा 109(1),115(2),351(3),352 बीएनएस में वांछित अभियुक्त सलमान पुत्र रफी निवासी ग्राम नंगला बुजुर्ग थाना भोपा, मुजफ्फरनगर को भोपा नहर पुल से गिरफ्तार किया गया।

- **थाना नई मण्डी पुलिस द्वारा ई–रिक्शा लूटकर चालक की हत्या कर शव को ईख के खेत में छिपाने वाला 10 हजार रूपये का ईनामी घोषित अभियुक्त घायल/गिरफ्तार–**
  दिनांक 02.05.2025 को प्र0नि0 श्री दिनेश चन्द्र थाना नई मण्डी मय हमराहीगण द्वारा मु0अ0सं0 200/2025 धारा 103,238,309(4) बीएनएस में वांछित अभियुक्त प्रवीन पुत्र वेदू निवासी गांधीनगर कूकडा थाना नई मण्डी, मुजफ्फरनगर मूल निवासी ग्राम सोहजनी थाना तितावी, मुजफ्फरनगर को दौराने पुलिस मुठभेड़ के कूकडा रोड से घायल/गिरफ्तार किया गया। घायल/गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से लूटी गयी ई–रिक्शा व 01 तमंचा मय 01 जिन्दा व 02 खोखा कारतूस 315 बोर बरामद किया गया। थाना नई मण्डी पुलिस द्वारा विवेचनात्मक कार्यवाही से उक्त अभियोग में धारा 140(3) बीएनएस का लोप करते हुए 103,238,309(4) बीएनएस की वृद्धि की गयी थी। अभियुक्त की गिरफ्तारी एवं बरामदगी के सम्बन्ध में थाना नई मण्डी पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 224/2025 धारा 109 बीएनएस व धारा 3/25/27 आयुध अधिनियम पंजीकृत कर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।